कार्यालय वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल औबेदुल्लागंज

होशंगाबाद रोड औबेदुल्लागंज फोन नं0 07480–224062 फेक्स नं0 07480–224911 email-dfotogunj@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 20 / औ.गंज / दिनांक,

प्रति,

D E Phone II & NOFN,
(Obaidullaganj Block)
City Telephone Exchange
Bharat Sanchar Nigam Limited Bhopal

विषय :– ग्राम पंचायत खपरियाखापा वनमंडल औबेदुल्लागंज के अंतर्गत रातापानी अभयारण्य में ब्राडबेन्ड कनेक्टिविटी हेतु मार्ग के किनारे किनारे राइट ऑफ वे के तहत ऑप्टीकल फाइवर केबिल बिछाने हेतु 0.158 हे0 भूमि की प्रथम चरण की सैद्धांतिक अनुमति ऑनलाइन प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/OFC/43787 /2020

सन्दर्भः– 1. आपका पत्र Lr. No. DE Phones-II & NOFN/CTX/NOFN Corres./ Obj Block /19-20 दिनांक 14.1.2020

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–5 / 2020 / 10–11 / 4003 दिनांक 28.11.20

3. मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त भोपाल का पृ.पत्र क्रमांक / मा.चि / 5104 दिनांक 04.12.20

––00––

विषयांकित प्रकरण के संबंध में लेख है कि आपके द्वारा औबेदुल्लागंज वनमंडल के अंतर्गत रातापानी अभयारण्य में ग्राम पंचायत खपरियाखापा में 0.158 हे0 भूमि पर ''राईट ऑफ वे'' के अंतर्गत भूमिगत ओ.एफ.सी. केबल लाईन डालने की अनुमति के संबंध मे प्रस्ताव ऑनलाईन forestsclearance की वेबसाईट के माध्यम से प्रकरण क्रमांक / FP/MP/OFC/43787/2020 से पंजीबद्ध किया गया है उपरोक्त प्रस्तावित ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाने हेतु औबेदुल्लागंज वनमंडल की निम्नानुसार परिक्षेत्रों की अभयारण्य की भूमि प्रभावित होगी :–

परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	प्रस्तावित ओ.एफ.सी लाईन की लम्बाई (मीटर मे)	प्रस्तावित ओ.एफ.सी लाईन की चौड़ाई (मीटर मे)	कुल क्षेत्र (हेक्टयर मे)
बिनेका	PF-727 A	570.00	0.50	0.0285
	PF-727 B	1173.00	0.50	0.0586
	Sanctuary Revenue Area	1420.00	0.50	0.071
योग		**3163.00**	**0.50**	**0.158**

ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाने मे औबेदुल्लागंज वनमंडल के रातापानी अभयारण्य का 0.0871 हे0 वनभूमि एवं 0.071 हे0 अभयारण्य की राजस्व भूमि कुल 0.158 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी।

म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन के आदेश क्रमांक/एफ–5–14 /2005/10–3 दिनांक 06.8.16 के अनुसार NOFN योजना अंतर्गत प्रस्तावित अप्टिकल फाइवर केबिल बिछाने के प्रकरणों को पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क से मुक्त रखा गया है।

म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ–5/16 /2000/10–3 दिनांक 12.09.2008 के अनुसार भूमिगत ऑप्टिकल फाईवर केबल लाईन के प्रकरणों में अभयारण्य की वनभूमि हेतु 05 गुना एन.पी.व्ही. की राशि तथा अभयारण्य की राजस्व भूमि हेतु निकटस्थ वनभूमि के समतुल्य एन.पी.व्ही. की राशि जमा करने का प्रावधान है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0भोपाल के द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 4003 दिनांक 28.11.20 के द्वारा प्रकरण में वन्यप्राणी की अनुमति के बाद ही कार्य प्रारंभ करने बावत्, शर्त अधिरोपित करते हुये प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति जारी करने के निर्देश इस कार्यालय को प्रदान किये गये है। प्रकरण में वन्यप्राणी अनुमति हेतु प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./119 दिनांक 12.1.21 के द्वारा मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त भोपाल एवं अग्रिम प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0भोपाल को प्रेषित किया जा चुका है।

प्रकरण में म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ/5/18/2002 /10–3 दिनांक 18.11.2004 एवं आदेश क्रमांक /एफ/5/18/2002/10–3 दिनांक 14.12.2005 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–11/2015/2637 दिनांक 28.10.2015 एवं पत्र क्रमांक/एफ–11/2017/10–11/2586 दिनांक 01.09.2017 मे निहित प्रावधान एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक /एफ–5/2020/10–11/4003 दिनांक 28.11.20 से प्राप्त निर्देशानुसार एवं प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने का अनुमोदन उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के अधीन राईट ऑफ वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फाईवर केबल लाईन बिछाने हेतु 0.158 हे0 भूमि के उपयोग की प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्त क्रमांक – 1 – आवेदित भूमि रातापानी अभयारण्य में स्थित होने से प्रकरण में वन्यप्राणी की अनुमति जारी होने के बाद ही एवं इसमें अधिरोपित शर्तों के पालन के पश्चात ही आप्टीकल फाइबर केबिल बिछाने का कार्य किया जावेगा।

शर्त क्रमांक – 2 – वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।

शर्त क्रमांक – 3 – उक्त कार्य केवल उपलब्ध मार्ग के किनारे ''राईट ऑफ वे'' के तहत किया जावेगा। ''राईट ऑफ वे'' से तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।

शर्त क्रमांक – 4 – यद्यपि प्रस्तावित लाईन में वृक्ष नहीं आ रहे हैं फिर भी खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जायेगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जड़ो को नहीं काटा जावेगा।

शर्त क्रमांक – 5 – प्रस्ताव अनुसार ओ.एफ.सी केबल लाईन डालने हेतु खन्ती का आकार 2 मीटर गहरा एवं 0.50 मीटर चौड़ा से अधिक नहीं होगा।

शर्त क्रमांक – 6 – वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।

शर्त क्रमांक – 7 – समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र मे उत्खनन नहीं किया जावेगा, जिसकी पूर्ति अन्य स्थानों से की जावेगी।

शर्त क्रमांक – 8 – यदि आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वनमण्डलाधिकारी औबेदुल्लागंज द्वारा निर्धारित राशि आवेदक संस्थान से देय होगी तथा भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू0प्र0) म0प्र0 भोपाल, मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल एवं वनमण्डलाधिकारी औबेदुल्लागंज द्वारा अगर कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो वह सभी शर्ते आवेदक संस्थान को मान्य होगीं।

शर्त क्रमांक – 9 – पर्यावरण एवं वन्यप्राणियों के रहवास/आवास को कोई क्षति नहीं पहुचाई जायेगी तथा वन एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचती है तो आवेदक विभाग उसकी भरपाई करेगा।

शर्त क्रमांक – 10 – कार्य पर लगाये गये मजदूरों द्वारा जलाऊ लकड़ियों का उपयोग नहीं किया जावेगा।

शर्त क्रमांक – 11 – ओ.एफ.सी केवल लाईन डालने का कार्य सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात नहीं किया जावेगा तथा वनक्षेत्र मे कोई श्रमिक केम्प नहीं लगाया जायेगा।

शर्त क्रमांक – 12 – वनक्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार की वनोपज का परिवहन नहीं किया जावेगा।

शर्त क्रमांक – 13 – आवेदक संस्थान, प्रस्ताव अनुसार ग्राम पंचायत खपरियाखापा के अंतर्गत मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के अंतर्गत मात्र उसी स्थान पर खन्ती खोदकर ओ.एफ.सी केवल लाईन बिछायेगा जिसका कि परिक्षेत्र अधिकारी बिनेका के द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान क्षेत्र चिन्हित किया गया था।

शर्त क्रमांक – 14 – प्रकरण मे राजस्व विभाग के अधीन राजस्व वनक्षेत्र (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) मे खुदाई की जाती है तो विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

शर्त क्रमांक – 15 – म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12.09.2008 के अनुसार अभयारण्य की वनभूमि 0.0871 हे0 की एन.पी.व्ही. की राशि 349706.00 (तीन लाख उन्नचास हजार सात सौ छः) एवं अभयारण्य की राजस्व भूमि 0.071 हे0 की एन.पी.व्ही. की राशि 57013.00 (सत्तावन हजार तेरह) कुल 406719.00 (चार लाख छः हजार सात सौ उन्नीस) की राशि ऑन लाईन वेबसाईट पोर्टल पर कैम्पा खाता के मद मे ई–पोर्टल के माध्यम से जमा करनी होगी।

शर्त क्रमांक–16–उपरोक्तानुसार एन.पी.व्ही. की राशि तथा जारी होने वाली वन्यप्राणी अनुमति की शर्तों में प्रावधानित राशि जमा होने के उपरान्त आवेदक विभाग शर्तो का पालन प्रतिवेदन वेबसाईट पोर्टल पर अपलोड कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।

उपरोक्त शर्तो एवं जारी होने वाली वन्यप्राणी अनुमति की शर्तों का पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र के प्रस्तुत करने एवं नोडल अधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0भोपाल द्वारा ऑनलाईन OK रिपोर्ट प्राप्त होने पर द्वितीय चरण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जावेगी। वन्यप्राणी

अनुमति एवं द्वितीय चरण की औपचारिक अनुमति जारी होने के बाद ही प्रस्तावित आप्टीकल फाइबर केबिल बिछाने का कार्य किया जा सकेगा।

वनमंडलाधिकारी,
सा0 वनमंडल औ.गंज

पृ0क्रमांक/माचि/21/4125 **औ.गंज, दिनांक** 05.08.21

प्रतिलिपि :–

1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।

2 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

2 मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3 अधीक्षक रातापानी अभयारण्य औ.गंज एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी बिनेका की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकरण मे वन्यप्राणी अनुमति एवं वन संरक्षण अधिनियम के तहत द्वितीय चरण की औपचारिक स्वीकृति के पूर्व आवेदित भूमि पर आवेदक विभाग को कोई भी कार्य न करने दिया जावे।

वनमंडलाधिकारी,
सा0 वनमंडल औ.गंज